रजिस्टर्ड / जनसूचना

संख्या– 1206 पी0पी0 / 26–25 / 2021

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव
जनसूचना अधिकारी / उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0
807 जवाहरभवन अशोक मार्ग
लखनऊ।

सेवा में

श्री

मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनॉक 23 मार्च 2021

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनॉक शून्य में आप द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत मांगी गयी सूचना निम्नवत प्रेषित है।

आपके शिकायती पत्र दिनॉक 18–12–2020 के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–769 पी0पी0 / 26–25 / 2021 दिनॉक 15 फरवरी 2021 द्वारा श्री जलज मिश्र क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी लखनऊ से आख्या मांगी गयी जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–179 म0स0ल0 / 2020–21 दिनॉक 17 फरवरी 2021 को आख्या भेजी गयी जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या–831 पी0पी0 / 26–25 / 2021 दिनॉक 19 फरवरी 2021 द्वारा शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है।

उक्त के अलावा संबंधित पत्रावली की नोटशीट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त दी गयी सूचना से यदि आप संतुष्ट नही है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी / राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0 को अपील दायर कर सकते हे जिनका पता निम्नवत हैः–

श्रीमती सरोज कुमारी राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0 808 जवाहरभवन अशोक मार्ग लखनऊ फोन नं0–0522–2286664 है

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जनसूचना अधिकारी /
उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश।
फोन नं0–0522–2286664

वि0प0क0सं0–संख्या–2451 / 26–1–2021–स0क0–1, दिनॉक 9 फरवरी 2021 द्वारा अनुसचिव समाज कल्याण अनुभाग–1

उप / रा0म0अ0

कृपया वि0प0क0सं0–1 को देखने का कष्ट करें। अनुसचिव समाज कल्याण अनुभाग–1 द्वारा श्री संजय आजाद 500 / 164 कुतुबपुर डालीगंज लखनऊ द्वारा श्री जलज मिश्र क्षे0म0अ0 लखनऊ तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की आपसी साठगॉठ के तहत अनुदान प्रस्तावों को भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक साजिशन समय से न भेजकर वित्तीय अनियमितताओं व शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत की गयी है। अतः श्री जलज मिश्र क्षे0म0अ0 लखनऊ से शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रस्तुत आलेख्य द्वारा आख्या प्राप्त की जा सकती है।

13/2/21

15/2/21

15/2/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिव
उत्तर प्रदेश

15.2.2021

वि0प0क0सं0–3 संख्या–179 म0स0ल0 / 2020–21 दिनॉक 17 फरवरी 2021 द्वारा क्षे0म0अ0 लखनऊ

उप / रा0म0अ0

कृपया वि0प0क0सं0–3 का अवलोकन करने का कष्ट करें श्री जलज मिश्र क्षे0म0अ0 लखनऊ ने शासन के पत्र 2451 दिनॉक 9 फरवरी 2021 के साथ संलग्न श्री संजय आजाद के शिकायती पत्र दिनॉक 18 दिसम्बर 2020 में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुवार आख्या प्रेषित की है। क्षे0म0अ0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–179 दिनॉक 17 फरवरी 2021 द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने नीतिगत निर्णय के तहत वर्ष 20..19–20 की परफार्मेन्स / जॉच रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण लाकडाउन के दौरान ही वर्ष 2020–21 की प्रथम किश्त दिनॉक 29 जून 2021 को ही अवमुक्त कर दी गयी। उक्त प्रकिया पूरे प्रदेश में अपनाई गयी। कार्यरत / संचालित संस्थाओं के प्रस्ताव न भेजे जाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि संस्थाओं द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्ताव अपलोड किये जाने के पश्चात प्रस्ताव आवेदन पत्र व आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियॉ 4 प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने पर संयुक्त जॉच की प्रकिया प्रारम्भ की जाती है। उक्त के संबंध में संस्थाओं द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 में

भारत सरकार द्वारा मंत्रालय की प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट के स्टेट कोआर्डिनेटर से सीधे संस्थाओं की आकस्मिक जॉच करायी गयी जिसके आधार पर अनुदान का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।

उक्त के अलावा सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान हरदोई द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र के संबंध में अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा नामित नगर मजिस्ट्रेट के साथ वर्ष 2018–19 के प्रस्ताव की जॉच की गयी जिसको अपर जिलाधिकारी हरदोई द्वारा भी परीक्षण कर सही पाया गया। जिलाधिकारी हरदोई के माध्यम से प्रस्ताव रा0म0अ0 को प्रेषित किया गया । वर्ष 2019–20 में नगर मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी द्वारा माह जुलाई 2019 में की गई जॉच रिपोर्ट में वर्ष 2018–19 हेतु की गयी जॉच तक संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने का उल्लेख भी किया गया है माह जुलाई 2019 में की गयी जॉस जिसमें संस्था का कार्य संतोषजनक नही पाया गया। उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2010–11 में शिकायतकर्ता के परिवार से संबंधित संस्था अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान डालीगंज लखनऊ द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र की संयुक्त जॉच में केन्द्र का कार्य संतोषजनक न पाने पर अनुदान की संस्तुति नही कीं गयी तब से शिकायत कर्ता द्वेष पूर्ण भावना रखता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता को विगत वर्षो में अथवा वर्तमान में उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0 से कोई शिकायत नही रही है अतः ऐसी स्थिति में लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत स्वै0सं0 द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की जॉच का अधिकार उच्च अधिकारी उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी को प्रदान करें।

अतः क्षे0म0अ0 लखनऊ से प्राप्त आख्या की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा सकती है चूँकि क्षे0म0अ0 के नियुक्ति प्राधिकारी शासन है अतः प्रकरण का निस्तारण शासन स्तर से किये जाने हेतु प्रस्तुत है। आदेशार्थ।

18/2/21

18/2/21

स0म0अ0

शासन के स्वै0संस्थाओं के Online uploaded प्रस्तावो के निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि सम्बन्धी पत्र, शिकायती पत्र मे उठाये गये बिन्दुओ व शासन के संयुक्त जांच सम्बन्धी पत्रो के सन्दर्भ मे भी जनपद ..., क्षे0म0अ0, लखनऊ के स्पष्टीकरण का परिशीलन कर स्पष्ट टिप्पणी प्रस्तुत करे ताकि शासन को स्थिति से अवगत कराया जा सके।

19/2/21

(डा० राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

उपरा0म0अ0

द्वारा पृष्ठ–2 पर की गयी पृच्छा के संबंध में अवगत कराना है कि श्री जलज मिश्र द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया है कि संस्थाओं द्वारा हार्डकापी उपलब्ध नही करायी गयी है जब कि शासन के पत्र संख्या–1246/26–2–2014 दिनॉक 27 मई 2014 में निर्धारित प्रकियानुसार 30 दिनों के अंतर्गत क्षे0म0अ0 द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। भारत सरकार की बेवसाइट पर संस्थाओं द्वारा अपलोड किये गये प्रस्ताव नियमानुसार संबंधित क्षे0म0अ0 को आवंटित होते हैं और इसी बेवसाइट पर अपलोडेड संस्थाओं के प्रस्ताव को इसी प्रकिया के माध्यम से उन्हें अनुदान भी प्राप्त होता है उपरोक्त शासन के पत्र के तहत नियमानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही न होने की विलम्ब की स्थिति में संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा पुल किये जाते हैं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से जॉच न कराये जाने के संबंध में कोई आदेश/निर्देश कार्यालय में उपलब्ध नही है। भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रस्तावों के संबंध में क्षे0म0अ0 को आवंटित होना स्पष्ट करता है कि जॉच कर अनुदान की संस्तुति हेतु ही प्रस्ताव संबंधित क्षे0म0अ0 को मार्क होते है। जहॉ तक उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी को कार्य दिये जाने का अनुरोध/अनापत्ति प्रस्तुत की है के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–2489/26–2–2007–100 (73)/2000 दिनॉक 15 फरवरी 2008 के तहत संस्थाओं की जॉच हेतु प्रकिया निर्धारित है, जिस पर पुर्नविचार किये जाने का कोई औचित्य नही है।

[signature] 19/2/21
[signature] 19/2/21

कृपया उक्त के अतिरिक्त श्री जलजमिश्र, क्षे0म0अ0, लखनऊ द्वारा अपने स्पष्टीकरण (पृ0सं0-3) मे शिकायती पत्र के प्रस्तर-1 का उत्तर नही दिया है। तथा स्पष्टीकरण के प्रस्तर-3 मे उनका कथन कि स्वै0 संस्थाओ द्वारा अवगत कराया गया कि "भारत सरकार से इस स्तर से जॉच की अपेक्षा की जायेगी तो उनके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।" स्वीकार योग्य नही है, शासन एवं रा0म0अ0, उ0प्र0 के स्तर से जारी विभिन्न निर्देशों के विपरीत उनका सा0 स्वै0 संस्थाओ के प्रतिनिधियों के कथनों पर विश्वास करना कदापि उचित नही है। G.O.I की website पर uploaded संस्थाओ के प्रस्तावों से हार्डकापी print कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती थी। इस प्रकार उनके द्वारा आगामी वर्षों मे भी शासन के निर्देशानुसार संस्थाओ के uploaded प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी और विलम्ब की स्थिति मे संस्थाओ के uploaded प्रस्ताव pull हो जायेगे। GOI की website पर अगर संस्थाओ के प्रस्ताव सम्बन्धित क्षे0म0अ0 को नियमानुसार आवंटित हो रहे है, तो जॉच हेतु ही ~~[illegible]~~ आवंटित होते है

रा0म0अ0

[signature] 19/2/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

स0 सहा0

कृपया क्षे0म0अ0 से प्राप्त स्पष्टीकरण/आख्या

निर्दिष्ट आलोक द्वारा शासन प्रेषित करें।

19-2-2021

(सरोज कुमारी)
राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

रा.म.अ.

के उपरोक्त आदेशानुसार स्वच्छालेख प्रस्तुत है कृपया हस्ताक्षरित करना चाहें।

19/2/21

19/02/2021

19-2-2021

(सरोज कुमारी)
राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

22/2/21

वि०प० क्र.5 दिनांक शून्य द्वारा श्री संजय आजाद 5क/164 कुतुबपुर डालीगंज लखनऊ

जनसूचना अधिकारी

कृपया वि० प० क्र.सं.5 को देखने का कष्ट करें। श्री संजय आजाद कुतुबपुर डालीगंज लखनऊ ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपने शिकायती पत्र दि. 18/12/20 पर का० रा. म. अ. द्वारा कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने व संबंधित पत्रावली की नोटशीट की छाया प्रति मांगी है। अतः प्रस्तुत स्वच्छालेख द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए नोटशीट की प्रति दी जा सकती है।

23/3/21